हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

सप्तम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 59

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण,1936 (शक्)

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

<u>11.03.15 AM</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्या 1380,1381,1383,1389,1395 और 1403 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। **(तारांकित प्रश्न संख्या 1380 के उत्तर से असंतुष्ट होकर 11.16.05 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। श्री मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सरकार उनके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, अतः वे सदन के संचालन में सहयोग दें। पूर्वाह्न 11.18.15 बजे विपक्ष के सभी सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।)** संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1382,1384,1385,1386,1387,1388,1390,1391,1392,1393, 1394, 1396, 1398, 1399,1400,1401,1402,1404, और 1405 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। पूर्वाह्न 11.38.42 बजे सभी तारांकित प्रश्न समाप्त हुए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 650 से 656 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

11.39.05 AM

मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत सूचना :

जंगलों के अवैध कटान के संबंध में आज निर्धारित प्रथम तारांकित प्रश्न संख्या 1380 के उत्तर की निरंतरता में माननीय मुख्य मंत्री ने अतिरिक्त सूचना दी।

11.40.50 AM

2. सभा पटल पर रखे गए कागजातः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0एल0जी0-ए(3)-2/2010 (अनुसन्धान अधिकारी/ डीएसओ/ संख्याविद्ध) दिनांक 30.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2014 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीएलजी-बी(2)-1/2013 दिनांक 10.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.11.2014 को प्रकाशित।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12(2)(ई), 24(5)(सी), और 40(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश

सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसरण में उचित मूल्य की दुकाने खोलने हेतु जारी दिशा-निर्देश जोक अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(10)-06/2012-शिमला दिनांक 02.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.08.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

11.41.54 AM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

1. **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **75वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **76वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **77वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के **175वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है; और

(v) समिति के **157वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 248वां कार्रवाई प्रतिवेदन

(ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।

2. **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का सप्तम् मूल **प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **वन विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति के **26वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **प्रथम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है ।

3. **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः3.5 व 3.6 की समीक्षा पर

आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित; और

(ii) समिति का **30वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 6वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

4. **श्री किशोरी लाल, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथ **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

6. **श्री संजय रतन, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति का **10वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

11.44.**50** AM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री राम कुमार ने** नालागढ़ में दिनांक 7 दिसम्बर, 2014 को हुई युवक की सनसनीखेज हत्या से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।
श्री राम कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा।
माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज ने** दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को कार्टरोड,शिमला में मैट्रोपोल विधायक सदन के नीचे 10 मीटर के लगभग सड़क के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।
श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण मांगा।
माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

11.58.20 AM

5. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

श्रीमती सरवीन चौधरी ने कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

11.59.15 AM

6. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्तावः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 6) वापिस हुआ।

12.00.20 PM

7. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक,20147(2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दीजाए।

अनुमति दी गई।

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरः स्थापित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) पुरः स्थापित हुआ।

(iii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पुरः स्थापित हुआ।

12.03.51 PM

(II) **सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण**

(i) **श्री जी0एस0 बाली0, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की।

खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने उत्तर दिया।

प्रो0 धूमल ने अपने सुझावों को विधेयक में सम्मिलित कर इसे पुनः संशोधित रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
माननीय मुख्य मंत्री एवं खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने प्रो0 धूमल के आग्रह को स्वीकार किया ।

श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने पुनः प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय

विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) पर संशोधित रूप में विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 49 तक विधेयक का अंग बने।
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 13) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(ii) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक ,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 17 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014(2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर द्वितीय (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पारित हुआ।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक ,2014(2014 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 पर सरकार की ओर से प्राप्त संशोधन प्रस्तुत हुआ समझा गया।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1,संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) संशोधित रूप पारित हुआ।

12.20.10 PM

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

सर्वश्री बिक्रम सिंह जरयाल, रविन्द्र सिंह, महेश्वर सिंह और कृष्ण लाल ठाकुर,सदस्यों द्वारा नियम 324 के अंतर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए ।

12.20.45 PM

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) **श्री महेन्द्र सिंह ने नियम 130 के अंतर्गत निम्न** प्रस्ताव किया तथा चर्चा की :-

"प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

सदन की बैठक अपराह्न 01.00.50 बजे दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

सदन की बैठक अपराह्न 2.04.10 बजे पुनः आरंभ हुई तथा चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री रिखी राम कौंडल

मुख्य मंत्री द्वारा उद्‌घोषणा :

चर्चा के मध्य माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उद्‌घोषणा की कि कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में हुई चोरी के संबंध में जो व्यक्ति विश्वसनीय सुराग उपलब्ध करवाएगा, जिससे मूर्तियों की रिकवरी में मदद मिल सके, उसे सरकार की ओर से 10 लाख रूपये की धनराशि ईनाम के रूप में दी जाएगी।

(**नियम-130 के अंतर्गत चल रही चर्चा जारी रही**)

2. श्री कुलदीप कुमार
3. श्री वीरेन्द्र कंवर
4. श्री बलदेव सिंह तोमर
5. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय संचिव
6. श्री इन्द्र सिंह
7. श्री हंस राज
8. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
9. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह ने नियम 130 के अंतर्गत निम्न** प्रस्ताव किया तथा चर्चा की :-

"हिमाचल पथ परिवहन निगम की भर्ती प्रक्रिया की नीति पर सदन विचार करे"

सांय 05.00.00 बजे सदन की बैठक 6.00 बजे सांय तक बढ़ाई गई।

श्री सतपाल सिंह सत्ती ने चर्चा में भाग लिया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने उत्तर दिया।

> **माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी सदस्यों ने 05.40.00 बजे सांय सदन से बहिर्गमन किया।**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने उत्तर समाप्त किया ।

सदन की बैठक सांय 05.48.26 बजे वीरवार, दिनांक 11 दिसम्बर,2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।